:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 06/2023 दायर दिनांक 06.01.2023

सुन्दरलाल पुत्र तेजा जाति मीणा उम्र बालीग निवासी पोहरीखातुरात तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज

–वादी

बनाम

1 कान्तिलाल पुत्र सुरमाल जाति मीणा
2 नाथी पत्नी स्व. सुरमाल जाति मीणा
3 मणि पुत्री सुरमाल जाति मीणा
4 लक्ष्मीचन्द पुत्र सुरमाल जाति मीणा
5 शारदा पुत्री सुरमाल जाति मीणा
6 हाजा पुत्र सुरमाल जाति मीणा निवासीयान पोहरीखातुरात तहसील झौथरीपाल जिला डूँगरपुर राज
7 श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झौथरीपाल डूँगरपूर

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53, 92क, 209 रा.का. अधिनियम

उपस्थित :–

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादी।
2 श्रीकान्त जैन अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

:: अंतिम निर्णय :: दिनांक 30/07/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव पोहरीखातुरात के जमाबन्दी खाता संख्या 234 के खसरा संख्या 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1819, 1821, 1837, 2059 कुल खसरा किता 17 का कुल रकबा 1.4636 हैक्टेयर भूमि है। जिसमें वादी का 1/12 वां हिस्सा है जो दर्ज रिकार्ड है एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादीगण वादी के मृत भाई सुरमाल की सन्ताने एवं पत्नी है। वादग्रस्त आराजी जो बिन्दू संख्या 1 में वर्णित की गई है जिस पर वादी के पिता के जीवनकाल से मौके पर आपसी बटवारे किए हुए है, इसी अनुसार मौके पर काबीज होकर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हक हिस्से में काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात का मौके पर आपसी बटवारे/काबीज अनुसार रिकार्ड में बटवारा कर रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि तहसील कार्यालय जाकर वादग्रस्त आराजी का रिकोर्डेड बटवारा करवाते है, जिस पर प्रतिवादीगण तहसील कार्यालय में नहीं आ रहे है तथा बार–बार टालम टोल किया जा रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि वे रिकोर्डेड बटवारा नहीं करवाना चाहते है इस

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार वाद हेतुक निरन्तर उत्पन्न हो रहा है। इसलिए बटवाडा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद ग्रस्त भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण के बटवारे हो जाने पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग व काश्त कर सकेगे। ऐसी परिस्थति मे वादी का वाद ग्रस्त भूमि मे से हिस्सा अलग किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे ताकि वादी अपनी इच्छानुसार काश्त कर उपज प्राप्त कर सके। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस बात की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है कि वह वादग्रस्त भूमि का बंटवारा पूर्व किसी प्रकार का विकय हस्तान्तरण किसी भी व्यक्ति संस्थान को न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे। भूमि की किस्म परिवर्तन न करे न किसी अन्य के माध्यम से करावें। वाद ग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर निर्माण न स्वयं करे न किसी अन्य के माध्यम से करावे वादी के काश्त कार्य मे रूकावट पैदा न करें तथा दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से को बेचा जाता हे या किस्म परिवर्तन कराई जाति है तो विकय किये जाने वाले रकबे या आबादी परिवर्तन किये जाने वाले रकबे को प्रतिवादीगण के हिस्से से कम किया जाकर उस अनुरूप बटवाडा किया जावें।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्रीकान्त जैन ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, वादी एवं प्रतिवादीगण ने बटवारा कर खाते अलग अलग कायम कराने राजीनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1–6 के बीच आपसी राजीनामा हो गया है। तदनुसार वादपत्र के कॉलम सख्या 1 में वर्णित आराजीयात का बटवाडा कर जमाबन्दी में वर्णित हिस्से अनुसार खाते अलग कायम किए जावे। मौके पर पक्षकारगण अपने–अपने हिस्से पर काबीज होकर काश्त कर रहे है। वादी व प्रतिवादीगण 1/2 – 1/2 हिस्से पर काबीज होकर काश्त कर रहे है। राजीनामा तस्दीक कर बटवारा कर खाते अलग–अलग कायम किए जावे।

वादग्रस्त आराजी के बटवारे हेतु निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15/05/2024 को जारी की गई। जिस पर तहसीलदार तहसील झोथरीपाल द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रस्तुत किया, विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर कोई अपत्ति पेश नहीं की गई। ऐसे में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बटवारा कर खाते अलग–अलग कायम करने निर्णय/डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी सुन्दरलाल को कुल खसरा किता 13 का कुल रकबा 0.7318 हैक्टेयर भूमि दी गई है, प्रतिवादी कान्तीलाल वगैरह को कुल खसरा किता 13 का कुल रकबा 0.7318 हैक्टेयर भूमि बटवारे में दी गई है। नक्शे में वादी सुन्दरलाल को दिया गया भाग हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है तथा प्रतिवादी का हिस्सा मात्र कोरा ही है।

::आदेश::

गाँव पोहरी खातुरात के जमाबंदी खाता संख्या 234 के खसरा संख्या 1777 से 1783, 1785 से 1790, 1819, 1821, 1837, 2059 किता 17 रकबा 1.4636 हैक्टेयर भूमि का तहसीलदार झोंथरीपाल द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा कर खाते अलग–अलग कायम करने की आज्ञा दी जाती

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

है। तहसीलदार तहसील झाँथरीपाल द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव नक्शा ट्रेस इस निर्णय एवं अन्तिम डिक्री का भाग रहेंगे। तहसीलदार झाँथरीपाल को आदेश दिया जाता है कि आदेशानुसार बटवारा कर खाते अलग–अलग कायम किए जावे। पालना रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

निर्णय आदेश आज दिनांक 30/07/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner